



Neutral Citation No. - 2026:AHC:172003

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 45519 वर्ष 2025

अदनान और 2 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : शिव प्रसाद यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : राम सकल यादव, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी पक्षकार संख्या 1 के विद्वान ए.जी.ए. श्री एन.के. शर्मा तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री राम सकल यादव को सुना गया। अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आरोप-पत्र दिनांक 14.10.2022, संज्ञान/समन आदेश दिनांक 29.02.2024 तथा मुकदमा विचारण संख्या 79 सन् 2024

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(राज्य बनाम अदनान एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 329 सन् 2022, धारा 323, 504, 452, 34 भा.दं.सं. तथा धारा 3(1) दा, 3(1) धा एवं 3(2)(वा) एस.सी./एस.टी. अधिनियम से उत्पन्न हुआ है, की संपूर्ण कार्यवाही, जिसमें विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. अधिनियम, आजमगढ़ द्वारा समझौते के आधार पर पारित आदेश दिनांक 17.01.2025 भी सम्मिलित है, को निरस्त करने हेतु दायर किया गया है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि:-

- (i) पक्षकारों के मध्य विवाद पूर्णतः सिविल एवं निजी प्रकृति का था;
- (ii) प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पक्षकारों के मध्य गलतफहमियों एवं आशंकाओं के कारण दर्ज कराई गई थी और कथित रूप से आरोपित किसी वास्तविक घटना के कारण नहीं;
- (iii) आवेदकों की ओर से कभी कोई आपराधिक आशय नहीं था और न ही कथित कोई आपराधिक अपराध कभी घटित हुआ था;
- (iv) वर्तमान में विवाद के पक्षकारों ने अपने मतभेदों का समाधान कर लिया है और शांति स्थापित कर ली है;
- (v) पक्षकारों के मध्य हुए निपटारे के दृष्टिगत, पक्षकार प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सामान्य संबंध विकसित करने और उसका अनुभव करने का एक और अवसर दिया जाए;
- (vi) आपराधिक विचारण की निरंतरता वास्तव में पक्षकारों के सामान्य संबंध बनाए रखने की अन्यथा अच्छी संभावना में बाधा उत्पन्न कर सकती है; तथा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(vii) इन बदली हुई परिस्थितियों में प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदकों के विरुद्ध आरोपों को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है।

4. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों द्वारा संबंधित न्यायालय के समक्ष समझौता विलेख दाखिल किया गया था। इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.2025 के अनुपालन में पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जिसके पश्चात् आदेश दिनांक 24.12.2025 द्वारा समझौते का विधिवत सत्यापन किया गया। सत्यापन आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय द्वारा पत्र दिनांक 09.01.2026 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रेषित की गई है। उक्त पत्र में यह भी अंकित है कि सूचनादाता/पीड़ित द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के अंतर्गत राज्य से प्राप्त प्रतिकर को राजकीय कोष में जमा कर दिया गया है।
5. प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों अथवा उनके द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की सत्यता पर विवाद नहीं किया है।
6. इस तथ्य को देखते हुए कि पक्षकारों के मध्य विवाद मूलतः सिविल एवं निजी प्रकृति का है और उनके मध्य हुए समझौते के परिणामस्वरूप उनकी पूर्ण संतुष्टि के अनुसार उसका सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान हो गया है, अतः आपराधिक अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तदनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एससीसी 466, योगेन्द्र यादव बनाम झारखंड राज्य, (2014) 9 एससीसी 653 और परबतभाई अहीर बनाम गुजरात**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राज्य, (2017) 9 एससीसी 641 के मामलों में प्रतिपादित विधि के स्थापित सिद्धांतों के आलोक में, उपर्युक्त वाद की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

14 अगस्त, 2026

एस.एस.

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)